HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 15306/2026
CNR: RJHC020766782026 | URN: CW / 32554U / 2026

M/s Laxmi Udhyog, E-410, Road No. 14, V.k.i. Area, Jaipur Its Partner Smt. Rashmi Agarwal W/o Shri Dinesh Agarwal, Aged About 47 Years, R/o A-2, Khetri House, Outside Chandpole Gate, Jaipur, Rajasthan-302003.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Secretary, Department Of Agriculture, Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.
2. The Director, Directorate Of Agriculture Marketing, Government Of Rajasthan, Pant Krishi Bhawan, Vaniki Path, C- Scheme, Jaipur, Rajasthan.
3. The Secretary, Rajdhani Krishi Upaj Mandi Samiti (Grains), Jaipur, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ayush Singh
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Joshi, AGC with Mr. Yash Soni, for R-3

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

19/08/2026

अयाची संख्या 03 की ओर से विद्वान अधिवक्ता अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हैं।

याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची पूर्व में सुरजपोल मंडी में व्यवसाय करता था। उनका तर्क है कि सचिव, राजधानी कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), जयपुर ने कूकरखेड़ा, जयपुर में नई कृषि उपज मंडी समिति बनने पर पुराने व्यवसायियों को प्राथमिकता पर दुकान/प्लॉट आवंटित किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया था, जिसमें याची द्वारा भी आवेदन दिया गया था। उसके आवेदन पर विचार (Consider) नहीं किये जाने पर उसने कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा

39 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की। दिनांक 15.09.2015 के आदेश द्वारा उसकी अपील स्वीकार की गई, जिसके अनुसरण में दिनांक 22.06.2017 को कृषि उपज मंडी समिति द्वारा इस आशय का कार्यालय आदेश जारी किया गया कि अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 के बिंदू संख्या 7(1)(2) के अनुसार आवंटन दिनांक को निर्धारित डीएलसी दर के आधार पर भूखंड की उपलब्धता अनुसार भूखंड आवंटन करने की सहमति देने का निर्णय लिया गया। इस आदेश के उपरांत अयाची समिति ने दिनांक 24.02.2026 को विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 09.03.2026 तक आवंटन हेतु आवेदन देने के लिए कहा, जिस पर याची ने दिनांक 09.03.2026 को आवेदन पत्र (परिशिष्ट 07) सचिव, राजधानी कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अभी तक उसके आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः इस याचिका के माध्यम से याची केवल यही सीमित अनुतोष चाह रहा है कि उसके आवेदन पर याची को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर आवेदन निस्तारित कर दिया जावे।

अयाची संख्या 03 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उन्हें याची द्वारा चाहे गए उक्त सीमित अनुतोष के संबंध में निर्देश दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

विचार किया गया।

प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों एवं विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा चाहे गए सीमित अनुतोष की रोशनी में यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याची अपने आवेदन दिनांक 09.03.2026 के समर्थन में एक विस्तृत अभ्यावेदन दो सप्ताह के भीतर अयाची संख्या 03 सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करे एवं उक्त आवेदन प्राप्त होने के छह सप्ताह की अवधि में याची को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि अनुसार निस्तारित कर याची को सूचित करें।

तद्नुसार स्थगन एवं विविध प्रार्थना–पत्र यदि कोई लंबित हों, तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

13/NIMIT GOYAL